न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 61/2022

1 युनुस अली पुत्र अहमद खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम भींचरी तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कसनूबानो पुत्री रहमत खां।
2 जाकिर अली पुत्र रहमत खां।
3 जाबीर अली पुत्र रहमत खां।
4 नवाब अली पुत्र अहमद खां।
5 नसीम बानो पुत्री रहमत खां।
6 फतू खां पुत्र दीनदार खां।
7 मनवर अली पुत्र रहमत खां।
8 युसुफ अली पुत्र रहमत खां।
9 लियाकत अली पुत्र अहमद खां।
10 शब्बीर अली पुत्र अहमद खां।
11 सलीम अली पुत्र अहमद खां।
12 साबिर अली पुत्र रहमत खां।
13 हिदायत खां पुत्र दीनदार खां।
14 बानो स्त्री इनायत खां।
15 इब्राहिम खां पुत्र इनायत खां।
16 शाकीर अली पुत्र इनायत खां।
17 रूबीन बानो पुत्री इनायत खां।
18 नसीम बानो पुत्री इनायत खां।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

19 अख्तरी बानो पत्नी याकूब खां
20 फारूक अली पुत्र याकूब खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण भींचरी तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
21 तहसीलदार फतेहपुर शेखावाटी तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
22 उप पंजियक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
23 भू–अभिलेख निरीक्षक बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
24 पटवारी हल्का भींचरी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
25 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बेसवा तहसील फतेहपुर जरिये मैनेजर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 मुकदमा नम्बर 40/2022 बउनवानी युनुस अली बनाम कसनुद बानो आदि दिनांक 11.07.2022

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफुल खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.05.2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 40/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 178, 23, 24, 25, 432 वाके ग्राम भींचरी के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई खसरा नम्बर 432 को स्थगन से मुक्त करते हुए शेष खसरा नम्बर पर स्थगन जारी किया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की है। विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत होने पर अंतरिम रूप से दिनांक 06.09.2021 को खसरा नम्बर 178, 23, 24, 25, 432 वाके ग्राम भींचरी के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। विचारण न्यायालय में मुस्ताक आदि द्वारा दिनांक 04.05.2022 को आदेश 01 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा 16.05.2022 को इस आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2022 को आवेदन खारिज किया गया। विचारण न्यायालय में दिनांक 06.06.2022 को फयूम खान की ओर से आदेश 01 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को यह आवेदन खारिज किया गया है। फयूम खान का आवेदन खारिज होने के पश्चात भी विचारण न्यायालय द्वारा फयूम खान के निवेदन पर विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार फतेहपुर के समक्ष धारा 251 के अन्तर्गत आवेदन संख्या 05/2021 सुखाचार/प्रचलित रास्ते हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 08.09.2022 को खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर खसरा नं. 432 पर भी स्थगन जारी किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा धारा 251 का आवेदन खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध श्रीमान जिला कलेक्टर के समक्ष अपील लम्बित है। खसरा नम्बर 432 में से रास्ते हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण 80/2022 अन्तर्गत धारा 251 ए लम्बित है। रेस्पोडेन्ट को खसरा नम्बर 432 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने पर ऐतराज नहीं है किन्तु धारा 251 ए में रास्ता कायम किये जाने पर यह स्थगन बाधक नहीं होगा। इस संदर्भ में आदेश प्रदान किये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य खसरा नम्बर 432 वाके ग्राम भींचरी में से रास्ता कायम किये जाने को लेकर विवाद है। रास्ते का निर्धारण विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के आवेदन में उभयपक्ष को सुनकर किया जाना है। इससे पूर्व खसरा नम्बर 432 के संदर्भ में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी करने में रेस्पोडेन्ट को भी ऐतराज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर भूमि खसरा नम्बर 178, 23, 24, 25, 432 वाके ग्राम भींचरी के संदर्भ में उभयपक्ष को ताफैसला वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए में खसरा नम्बर 432 में रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिए जाने पर इस आदेश की पालना में यह स्थगन बाधक नहीं रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.5.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर